न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– नारायण सिंह चारण, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 07 / 2016 (निगरानी पंचायत) **दायर दिनांक 22.02.2016**

विकास अधिकारी पचांयत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ

निगराकार / प्रार्थी

बनाम

श्रीमती कमला देवी पत्नी अर्जुनलाल बैरागी, निवासी सांखली, पंचायत समिति राशमी, जिला चित्तौड़गढ।

–गैर निगराकार / (अप्रार्थी)

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत सांखली पंचायत समिति राशमी द्वारा जारी पट्टा संख्या 001569 दिनांक 15.09.1991

उपस्थित :– वकील निगराकार :– श्री नरेश शर्मा
वकील गैर निगराकार:– नरेन्द्र कुमार नाहर

निर्णय **दिनांक 22.03.2018**

उपरोक्त अनवान प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति, राशमी द्वारा दिनांक 22.02.2016 को निगरानी प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत, सांखली द्वारा दिनांक 15.09.1991 को तत्कालिन प्रशासक द्वारा विपक्षी को नियम 158 के तहत् निःशुल्क पट्टा नियमो की अनदेखी करते हुए नियमों के विपरीत जारी किया गया। उक्त अवैधवता के कारण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत जारी पट्टा संख्या को निरस्त राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरण संख्या 01015274579690 दिनांक 03.12.2015 से दर्ज श्री मांगीलाल पिता श्री भवानीराम कीर निवासी सांखली ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार पालना निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्षी श्रीमती कमला देवी पत्नी अर्जुन लाल बैरागी, निवासी सांखली,

अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़

अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

पंचायत समिति राशमी के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 001569 को पूर्व दिशा सड़क मान्यास, पश्चिम दिशा पड़त भूमि, उत्तर दिशा पड़त भूमि व हेडपम्प, दक्षिण पड़त भूमि पडोस के मध्य स्थित होकर 400 वर्ग फीट 20X20 साईज जारी किया गया तथा कथित पट्टा विधि मान्य नियमों के विपरीत होने से काबिल आपत्ति के है। ग्राम सांखली के तत्कालीन प्रशासक द्वारा विपक्षी के पक्ष में दिनांक 15.09.1991 में उपरोक्त पडोसान के मध्य स्थित आराजी नम्बर 844/173 में जारी पट्टा संख्या 01569 दिनांक 15.09.1991 को निरस्त किये जाने पंचायत समिति द्वारा गठित कमेठी पंचायत समिति राशमी द्वारा जांच कार्यवाही में उक्त पट्टे नियमों के विपरीत है। अतः उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण को विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

विपक्षी की और से दिनांक 31.01.2018 को जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षी जाति से वैष्णव बैरागी होकर अन्य पिछडा वर्ग की महिला होने से दिनांक 15.09.1991 को निःशुल्क पट्टा विधि सम्मत रूप से जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र में किन नियमों की अवहेलना कि गई है उसका उल्लेख नही किया गया है। राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरण मांगीलाल पिता भवानीराम कीर निवासी सांखली द्वारा मुझ विपक्षी कमला देवी के निःशुल्क पट्टे के संबधं में कोई प्रकरण दर्ज नही कराया है। राजस्थान सम्पर्क पर किसी अन्य व्यक्ति विशेष के संबंध में प्रकरण का उल्लेख कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत अथवा विधि के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का कोई आधार उत्पन्न नही होता है। विपक्षीया को 400 वर्गफीट का निःशुल्क पट्टा प्रशासक ग्राम पंचायत सांखली द्वारा जारी किया जाना प्रार्थी एवं ग्राम पंचायत सांखली द्वारा निगरानी के चरण संख्या 02 उल्लेखित तथ्य स्वीकार नही है। 26 वर्ष पूर्व विधि सम्मत रूप से तत्कालीन प्रशासक द्वारा निःशुल्क

अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

पट्टा जारी किये जाने में किन नियमों की अवहेलना की गई है उसका कोई उल्लेख नही है। विपक्षी को राजनैतिक समर्थित परिवार होने से वर्तमान सरपंच ने प्रार्थी से मिलकर या आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी की ग्राम पंचायत सांखली द्वारा जारी किये गये पट्टे के संबंध में कोई शिकायत प्रस्तुत नही की है। सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। श्री मांगीलाल कीर द्वारा राजस्थान सम्पर्क पर अन्य व्यक्ति विशेष की शिकायत के आधार पर मुझ विपक्षी को जारी किया गया पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किसी भी धारा में निरस्त करने योग्य कोई आधार नही है। राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरण संख्या 01015274579690 दिनांक 03.12.2015 के संबंध में पटवारी हल्का सांखली द्वारा मांगीलाल शिकायतकर्ता की उपस्थिति में पर्चा मौका बनाया गया जिसमें विवादित पट्टे में उल्लेखित सम्पति के पडोस पूर्व में मान्यास रोड, पश्चिम में विद्यालय की दिवार, तत्पश्चात कमरा उत्तर दिशा–पडत भूमि दक्षिण दिशा पडत भूमि का उल्लेख किया है। इस मौका पर्चा रिपोर्ट में दुकान का लगभग 20 वर्ष पुरानी निर्मित होना दर्शाया गया है। पंचायत भवन की बाउण्ड्री वाल को पट्टे में उल्लेखित सम्पति से 76 फीट की दूरी पर बताई है। मौका रिपोर्ट में भूखण्ड के पडोस एवं पट्टे में पडोस सम्पति समान है। जो पट्टा जारी किया गया है जो पूर्णतया वैधानिक होकर आंवटित भूमि का ही है किसी अन्यत्र भूमि का नही है। ग्राम पंचायत सांखली एवं प्रार्थी विकास अधिकारी स्वयं पट्टा किसी अन्य जगह होने का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नही किया गया। राजकीय रेकार्ड में आवंटित पट्टे के भूखण्ड पर कमरे का निर्माण 15–20 वर्ष पूर्व होने की पुष्टि होती है। प्रार्थी का यह आधारहीन प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

प्ररकण पर उभय पक्ष बहस सुनी गई जिसमें वकील निगराकार का कथन है कि गैर निगरकार श्रीमती कमला देवी को दिनांक 15.09.1991 को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया। पंचायत द्वारा दिनांक 18.06.1991 को प्रस्ताव लिया गया। प्रस्ताव संख्या 08 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु लिया है। पंचायत नियमों के अनुसार न तो रिकोर्ड

अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

आधारित है, न मिसल आधारित है और न ही आवेदन पत्र है तथा पट्टा जारी करने के संबंध में कोई पात्रता के संबंधित जांच की गई है। कार्यवाही विवरण में दिनांक 18.06.1991 के प्रस्ताव में दिनांक 13.06.1991 प्रस्ताव संख्या 08 भी बाद में जोडा गया है। दिनांक 15.09.1991 को पट्टा जारी करने का उल्लेख बाद में किया गया है। उपखण्ड अधिकारी राशमी की जांच दिनांक 17.02.2016 एवं तहसीलदार राशमी की जांच दिनांक 16.06.2016 एवं पंचायत समिति द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिये विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये तब ये निगरानी पेश की गई है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत सांखली द्वारा जारी पट्टे को निरस्त किया जावें।

प्रकरण पर वकील गैर निगराकार की बहस सुनी गई जिसमें कथन है कि राजनैतिक कारणों से 25 वर्ष बाद निर्माण किये गये मकानों को तोडना चाहते है। विकास अधिकारी द्वारा पेश की निगरानी की जांच रिपोर्ट में लिखा है कि पट्टा निर्माण स्थल का नही है। पट्टा अन्यत्र जमीन का है तो फिर मामला अन्तरण का हो गया है। पट्टे कैसे अवैध एवं खारिज योग्य है। जांच रिपोर्ट में आया है कि पट्टा में दर्शाये पडोस अनुसार प्रार्थी का कब्जा नही है। पूर्व दृष्टांत डीएनजे 2015 पार्ट 4 पेज 1853 में उल्लेखित है कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–24 वर्ष बाद आवंटित भूमि का पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की– अधिनियम में परिसीमा का प्रावधान नही–असामन्य विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नही की जा सकती– युक्तियुक्त समय में पक्षकार को निगरानी पेशकरनी चाहीये ओ सिविल कार्यवाही पेश करने हेतु अवधि दिशा निर्देश कारक होनी चाहीये –निर्णित निगरानी क्षेत्राधिकारिता का उपयोग करने में अतिरिक्त कलक्टर ने कोई त्रुटी नही की है– आदेश में हस्तक्षेप नही किया " निगरानी प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित नही है, इसका अर्थ यह भी नही है कि असिमित समय दिया जावे। पंचायत ने प्रस्ताव लेकर पट्टा जारी किया गया है,

कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़

अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया है। प्रशासक द्वारा पट्टा जारी किया गया है अतः प्रस्तुत निगरानी को खारिज की जावें।

प्रकरण पर उभय पक्ष बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.09.1991 को विपक्षी को पट्टा जारी किया गया जिसका उल्लेख ग्राम पंचायत सांखली के पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर वर्ष 1990–93 में दिनांक 18.06.1991 के प्रस्ताव संख्या 08 में विपक्षी का नाम अंकित है तथा निःशुल्क पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी गई है। ग्राम पंचायत सांखली के पत्र क्रमांक/विविध/ग्रा.प.सा./2015–16/106 दिनांक 25.03.2016 से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत रेकार्ड में कमला देवी पत्नी अर्जुनलाल बैरागी के पट्टा संख्या 1569 दिनांक 15.09.1991 से संबंधित पत्रावली कायम नही की है। प्रस्तुत निगरानी दिनांक 15.09.1991 को जारी पट्टा के विरूद्ध में प्रस्तुत की गई है जिसे लगभग 24 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इतने अधिक विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण नही दर्शाया गया है। अतः निगरानी प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित नहीं होती है का यह अर्थ नहीं है कि अत्यधिक विलम्ब से बिना किसी ठोस कारण के भी निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है जैसा कि अधिवक्ता गैरनिगराकार द्वारा प्रस्तुत पूर्व दृष्टांत में बताया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत निगरानी पर किसी ठोस आधार पर प्रस्तुत नही की गई है न ही युक्तियुक्त कारण दर्शाया गया है। अधिवक्ता श्री निगराकार द्वारा दौराने बहस बताया था कि विकास अधिकारी, राशमी की जांच रिपोर्ट पत्रांक/पसरा/2015–16/212 दिनांक 10.02.2016 में दर्शाया गया कि पट्टा निर्माण स्थल का नही होने से भी हम सहमत है क्योंकि इससे तो यह जांच रिपोर्ट अतिक्रमण साबित करती है न कि पट्टे को अवैध साबित करती है। अन्य जांच रिपोर्ट में उपखण्ड अधिकारी राशमी की जांच रिपोर्ट पत्रांक/958 दिनांक 17.06.2016 एवं तहसीलदार राशमी की जांच रिपोर्ट पत्रांक/98/2016 दिनांक 16.06.2016 में भी निर्माण स्थल एवं पट्टे के तथ्य को दौहराया गया है। इस जांच रिपोर्ट से यह पट्टा 24 वर्ष बाद किन आधारों पर खारिज किया

कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट • चित्तौड़गढ़ •

अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

जाय यह स्पष्ट नही होता है, ऐसी स्थिति में इतनी लम्बी अवधि बाद पेश की गई निगरानी को स्वीकार किये जाने हेतु कोई उचित आधार अथवा ठोस कारण साबित नही होने से स्वीकार नही की जा सकती है।

उपरोक्त विवरण एवं तथ्यों के आधार पर निगरानीकार द्वारा अपनी निगरानी साबित कराने में असफल रहा है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जाता है तथा ग्राम पंचायत सांखली पंचायत संमिति राशमी द्वारा जारी पट्टा संख्या 001569 दिनांक 15.09.1991 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

22/3/18

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट • चित्तौड़गढ़ •